1– <u>भौतिक दिखावटः–</u>

प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत बीजः–

1–बदरंग होने पर–वर्षा , अधिक नमी या अन्य किसी भी कारण से भौतिक रूप से खराब बीज जिससे संस्था की राय में बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रमाणीकरण के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।

2–बीज किसी कीट, व्याधि, फफूंद या यांत्रिक कारणों से 0.5 प्रतिशत से अधिक खराब नहीं होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से किसी लाट के उतने ही भाग को अयोग्य मानकर निरस्त या अलग कर देना चाहिये बशर्ते कि संस्था को यह विश्वास हो कि भौतिक रूप से खराब हिस्सा अलग करने के पश्चात शेष बीज लाट उपरोक्त सीमा से अधिक खराब नहीं है।

2– <u>अग्रिम टैगिंग</u>

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अन्तर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान ग्ग्प्;इद्ध के अन्तर्गत अग्रिम टैगिंग की अनुमति पर्याप्त सावधानियां सुनिश्चित करते हुये संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जावेगी।

2.1 उत्पादक संस्था के प्रमुख को रु 100/– के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जिन बीज लाट्स की अग्रिम टैगिंग की जानी है, उनका आवेदन/करारनामा सहित सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट–प्प)

2.2 आवेदन के अर्न्तगत बीज लाट्स अग्रिम टैगिंग उपरान्त किस स्थान पर रखे जायेगे इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

2.3 आवेदित बीज लाट की अग्रिम टैगिंग के लिये अधिकृत व्यक्ति अग्रिम टैगिंग के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं परिशिष्ट–ग्ग अनुसार जानकारी उपलब्ध करायेगा। अमानक बीज लाट के टेग वापस करने का उल्लेख आवेदन में किया जाना अनिवार्य होगा।

2.4 अग्रिम टैगिंग के लिये बीज लाट की ग्रेडिंग तुरन्त की जाकर सेम्पलिंग करके सीधे पेकिंग कराना अनिवार्य होगा।

2.5 अग्रिम टैगिंग एवं पैकिंग किये गये बीज लाटो के भंडारण के दौरान उक्त बीज लाटो की गुणवत्ता बनाये रखने की जवाबदारी उत्पादक संस्था/अग्रिम टैगिंग हेतु अधिकृत व्यक्ति की होगी।

2.6 टेग व लेबल एवं प्रमाण–पत्र के शीर्ष पर 'अग्रिम टैगिंग ' शब्द (बड़े अक्षरों में) अकिंत किया जायेगा।

2.7 अग्रिम टैगिंग के अन्तर्गत जारी टेग व लेबल पर बीज परीक्षण की तिथि के स्थान पर नमूना लेने की तिथि एवं वैधता तिथि के स्थान पर नमूना लेने की तिथि से 9 माह की वैद्यता की तिथि अंकित की जायेगी।

2.8 टैग पर प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि के स्थान पर अग्रिम टैगिंग की तिथि अंकित की जावेगी।

2.9 यदि बिन्दु क्र. 26.2 मे उल्लेखित भण्डारण के स्थान प्रमाणीकरण संस्था के दो अलग अलग अधिकारियों के अर्न्तगत आते है तो बीज शिफ्टिंग के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को भी अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा।

2.10 अग्रिम टैगिंग के परीक्षण परिणाम प्राप्त होने पर मानक अनुरुप पाये गये बीज लाट्स का अंतिम प्रमाण पत्र पर विपणन के लिये मुक्त (त्मंसेंम वित ैंसम) की मोहर लगाकर संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जारी करेंगे। इसके पश्चात ही प्रमाणित बीज लाट्स निर्धारित स्थान से हटाये जा सकेगें।

2.11 अमानक पाये गये बीज लाट के टेग उत्पादक संस्था को वापस करना होगे एवं इनका शुल्क वापस नहीं होगा। अमानक बीज लॉट यदि पुनः परीक्षण की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें नियमानुसार आवेदन देकर पुनः परीक्षण कराकर निर्धारित मानक स्तर का परिणाम प्राप्त होने के बाद ही उनकी फिर से टैगिंग की जा सकेगी।

2.12 पुनः वैधता एवं पुनः परीक्षण के बीज लाट्स का अग्रिम टैगिंग नहीं किया जायेगा।

2.13 यदि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित बीज उत्पादक संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3– <u>प्रमाण–पत्र का खण्डन :–</u>

प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज अधिनियम 1966 की धारा–9(3) के तहत जारी किये गये प्रमाण–पत्र का आवश्यकता पड़ने पर बीज अधिनियम 1996 की धारा–10 के अंतर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान –गगगप्प में उल्लेखित शर्तो के आधार पर खण्डन करने का अधिकार संस्था को है।

4– <u>कार्यप्रणाली के संबंध में प्रबंध संचालक के अधिकारः–</u>

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ऊपर बतायी गयी कार्यप्रणाली में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

5– <u>अपीलः–</u>

बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं केन्द्रीय बीज अधिनियम 1966 की धारा–9 एवं 10 के अन्तर्गत प्रमाणीकरण संस्था के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस नियम की धारा–11 के अनुसार गठित अपील प्राधिकारी के सामने संस्था द्वारा दिये गये उक्त निर्णय सूचित किये जाने के 30 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कराने पर अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

6– <u>निर्वचन (प्दजमतचतमजंजपवद):</u>

संस्था की इस कार्यप्रणाली के किसी भी बिन्दु या प्रावधान के निर्वचन (प्दजमतचतपजंजपवद) के संबंध में विवाद की स्थिति में संस्था अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।